भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3941

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आंध्र प्रदेश के तट पर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं</u>

3941. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के तट पर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए कोई संसाधन मूल्यांकन, पवन मापन अध्ययन और समुद्र तल सर्वेक्षण किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वाणिज्यिक विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश तट के साथ किन्हीं अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्रों/स्थलों की पहचान की है और यदि हां, तो उनकी अनुमानित उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय, तकनीकी या नीतिगत सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास में तेजी लाने के लिए निवेश, अवसंरचना विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (***NIWE)*** ने आंध्र प्रदेश के तट सहित देश में अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा संसाधन आकलन किया है।

मध्यम-स्तरीय अध्ययन के आधार पर, गुजरात और तमिलनाडु के तटों के पास संभावित अपतटीय पवन क्षेत्रों की पहचान की गई है। प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि गुजरात और तमिलनाडु के तटों के पास लगभग ***70*** गीगा वाट (***GW)*** अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता मौजूद है।

मेसो-स्केल डेटा के आधार पर अनुमानित अपतटीय पवन क्षमता बताती है कि आंध्र प्रदेश के तट पर वार्षिक औसत वायु गति 7.0-7.3 मीटर/सेकंड की सीमा में है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त है।

अतः, अपतटीय पवन परियोजना को लागू करने के प्रयास आरंभ में तमिलनाडु और गुजरात जैसे उच्च पवन क्षमता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित किए गए हैं।

सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित देश में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:;

- देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए अक्टूबर 2015 में 'अपतटीय पवन ऊर्जा नीति' को अधिसूचित किया गया।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के आवंटन को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं।
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 तंत्र के अनुसार द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोण के तहत कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए विचार की जाने वाली गतिविधियों की सूची में अपतटीय पवन को शामिल किया गया है।
- दिनांक 31 दिसंबर, 2032 तक या उससे पहले शुरू होने वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अंतर-राज्यीय पारेषण (ISTS) शुल्क और अतिरिक्त अधिभार से छूट।
